



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)



सं० 45/02/एनएमईईई/ऊर्जा दक्षता/2025-सीसीटीएस

21 अगस्त, 2025

विषय: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (एसीवी) एजेंसियों के लिए आईएसओ 14065 की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण के संबंध में ।

भारतीय कार्बन बाजार (एनएससी-आईसीएम) पर 12वीं राष्ट्रीय संचालन समिति के अनुमोदन के अनुसार, मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (एसीवी) एजेंसी के रूप में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत प्रत्यायन चाहने वाली किसी भी एजेंसी के पास प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/भारतीय गुणवत्ता परिषद से आईएसओ 14065:2020 प्रत्यायन होना चाहिए।

भवदीय,

(सौरभ डिंडी)

निदेशक



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)



No. 45/02/NMEEE/Energy Efficiency/2025-CCTS

21st August 2025

Subject: Clarification on requirement of ISO 14065 for Accredited Carbon Verification (ACV) Agencies under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)

As per the approval of the 12th National Steering Committee on Indian Carbon Market (NSC-ICM) any agency seeking accreditation under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) as Accredited Carbon Verification (ACV) agency should have ISO 14065:2020 accreditation from the National Accreditation Board for Certification Bodies /Quality Council of India.

Yours sincerely,


(Saurabh Diddi)
Director, BEE